न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :– **बनाम**

नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व जीवणसाल सिंह

निवासी चितावा, हाल निवासी न्यू सांगानेर जयपुर

प्रतिवादीगण :–

1. कुलदीप सिंह पुत्र स्व राजेन्द्र सिंह राजपूत
2. श्रीमति नरेन्द्र कंवर पत्नि स्व श्री राजेन्द्र सिंह
3. किर्ती सिंह पुत्री स्व. राजेन्द्र सिंह सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम चितावा, परबतसर
4. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री अरूण कुमार माथुर अधिवक्ता वादी,

श्री नरेश कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी 1,2 व 3

मुकदमा नम्बर :– 2024/78

निर्णय दिनांक :– 07.01.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता अरूण कुमार माथूर ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम चिताई पटवार हल्का चिताई, तहसील परबतसर के खाता संख्या नया 84 के अन्तर्गत कृषि भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.11है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.33है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.12है0, खसरा नम्बर 318 रकबा 2.11है0। कुल किता9, कुल क्षेत्रफल 5.58 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 संयुक्त अविभाजित निहीत है तथा वादी के उक्त हिस्सेनुसार ही उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति राजेन्द्र सिंह के नाम से संयुक्त अविभाजित रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति राजन्द्र सिंह का स्वर्गवास के पश्चात अपने जायज व कानूनी वारीस एवं विधिक उत्तराधिकारियों में अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 2 एवं दो संतान के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को छोडा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 3 ही मृतक सहखतोदार राजेन्द्र सिंह के प्रथम श्रेणी के जायज व कानूनी वारीस एवं विधिक उत्तराधिकारी हैं। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा इसी अनुसार वादी का संयुक्त अविभाजित हक, हिस्सा व अधिकार निहीत है तथा इसी हिस्सेनुसार वादी उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, लेकिन उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है। मृतक राजेन्द्र सिंह के स्वर्गवास के पश्चात से ही प्रतिवादीगण की नियत में कुछ समय से

बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण वादी से द्वेषता रखते है तथा उक्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का तकासमा करवाने हेतु साफ इंकार कर दिया, जिसका की उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस करवाने की इस्तदुआ की हैं।

दावा वादी वकील द्वारा दर्ज कराये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.11.2024 को वादी एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 कुलदीप सिंह, प्रतिवादी संख्या 02 नरेन्द्र कंवर, प्रतिवादी संख्या 3 किर्ती सिंह ने आपसी समझाइस व लोक भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है जिसके अनुसार ग्राम चिताई की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313 व318 के वादी 1/2 व प्रतिवीदगण 1/2 के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि मौके पर एक चक है उक्त भूमि में वादी का हिस्सा दक्षिण की तरफ का रहेगा जिसके खसरा नम्बर 318 व खसरा नम्बर 312 व 305 का दक्षिणी हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि के उत्तरी तरफ 1/2 हिस्सा रहेगा। जिसके खसरा नम्बर 313, 310, 306, 307,309, 311 सम्पूर्ण व 305, 312 व 318 में उत्तरी तरफ का हिस्सा रहेगा अर्थात सम्पूर्ण विवादाग्रस्त भूमि मौके पर एक चक है उसमें दक्षिण का हिस्सा वादी एवं उत्तरी हिस्सा प्रतिवादीगण का रहेगा। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का बंटवारा के अनुसार अलग-अलग खातेदारी दर्ज करवाने के लिए वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चिताई की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313 व 318 कुल रकबा 05.5800 हैक्टेयर का बंटवारा बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड करवाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की अलग-अलग खातेदारी दर्ज करने हेतु माफिक राजीनामा बंटवारा डिक्री फरमाया जावे। इस प्रकार समस्त पक्षकारानों के मध्य राजीनामा होने से बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने विविदित भूमि का बंटवारा बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की अलग-अलग खातेदारी माफिक राजीनामा बंटवारा करने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्षकारों के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादीगण 1 से 3 के मध्य राजीनामा हो गया है जिसे उभय पक्षकारों ने सही होना स्वीकार किया। इस प्रकार दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक राजीनामा स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम चिताई की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 305, 306, 307, 309, 310, 311,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

312, 313 व 318 कुल रकबा 5.5800 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड मुताबिक राजीनामा किये जाने के ओदश दिये जाते है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। तहसीलदार को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावाली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार दाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर